झारखंड उच्च न्यायालय
रांची
सिविल रिट याचिका संख्या 3226/2017

श्री मोहिंदर सिंह कालरा के पुत्र प्रीतिंदर सिंह कालरा उर्फ पी.एस. कालरा गेन जो विकास विद्यालय, जिला- नेओरी विकास, थाना नेओरी, बी.आई.टी मेसरा, रांची में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. राज्य महिला आयोग, झारखंड अवर सचिव के माध्यम से जिसका कार्यालय इंजीनियर्स हॉस्टल नंबर 1, प्रथम तल धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, रांची मैं है।
3. उपायुक्त, रांची का कार्यालय डी.सी. कार्यालय, कचहरी रोड, जी.पी.ओ एवं पी.एस. कोतवाली, रांची डाकघर में है।
4. श्रीमती इंदु कुमारी झा, पत्नी कुमार नवीन चंद्र पाठक, निवासी विकास विद्यालय परिसर, नेउरी विकास, डाकघर नेओरी और थाना बी.आई. टी. मेसरा, रांची ..... उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अंकित विशाल, वकील
प्रतिवादी के लिए : श्री समावेश बेंज, सलाहकार।
सुश्री सुनीता कुमारी, सलाहकार।

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्रीमान जस्टिस अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए दायर की गई है**,** जिसमें इस हिस्से को रद्द करने के लिए उचित रिट/ आदेश/ निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई है। राज्य महिला आयोग**,** झारखंड द्वारा वाद संख्या में पारित अंतरिम आदेश दिनांक **26.05.2017. 523/2017** और ज्ञापन संख्या **108** दिनांक **30.05.2017** के माध्यम से सूचित किया गया जहां प्रतिवादी क्रमांक **2** द्वारा आयोग ने प्रतिवादी **3** को **20.05.2017** की यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता विकास विद्यालय**,** रांची का प्रिंसिपल है और प्रतिवादी नंबर **4,** अनुबंध के आधार पर उस स्कूल में सामाजिक विज्ञान/ अंग्रेजी शिक्षक हुआ करता था। प्रतिवादी संख्या **4** की सेवा को **20.05.2017** को समाप्त कर दिया गया। यह आरोप लगाया गया है कि इस तरह की समाप्ति के परिणामस्वरूप**,** प्रतिवादी सं. **4** अन्य बातों के साथ- साथ प्रतिवादी संख्या से संपर्क किया। **2-** याचिकाकर्ता की ओर से मानसिक

और शारीरिक उत्पीड़न सहित दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया। जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी सं. **2,** दिनांक **30.05.2017** को याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक **26.05.2017** की प्रति के साथ एक नोटिस जारी किया**;** ताकि अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दे सके। उक्त अंतरिम आदेश दिनांक **26.05.2017** में अन्य बातों के साथ- साथ प्रतिवादी सं. **2** ने प्रतिवादी संख्या को **3 20.05.2017** की यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप झूठे हैं। प्रतिवादी सं. **2-** आयोग के पास आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकृति की शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और प्रतिवादी संख्या को निर्देश के साथ कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है।

3- उपायुक्त**, 20.05.2017** को यथास्थिति बनाए रखने को सुनिश्चित करें**,** इसलिए**,** यह प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश के उक्त भाग को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

4. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का निष्पक्ष रूप से कहना है कि प्रतिवादी क्रमांक **2.** पर कोई विशिष्ट शक्ति निहित नहीं है। आयोग अपने समक्ष पक्षों के बीच किसी भी विवाद के संबंध में यथास्थिति बहाल करने का आदेश पारित कर सकता है और वह केवल इतना ही कर सकता है कि वह अपने सुझाव की अनुशंसा कर सकता है।

5. बार में की गई दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद**,** यहां यह उल्लेख करना उचित है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भबानी प्रसाद जेना बनाम संयोजक सचिव**, **उड़ीसा राज्य के मामले में महिला एवं अन्य आयोग (2010) 8 एससीसी** 633 **में रिपोर्ट किया गया** जिसमें उड़ीसा राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा **3** के तहत गठित राज्य महिला आयोग की शक्तियों पर विचार करने का अवसर मिला**,** जो कि झारखंड महिला आयोग अधिनियम**, 2005** की तरह एक आदर्श क़ानून है और पैरा **10** में निम्नानुसार देखा गया है: -

> *"**10.** दूसरे शब्दों में, राज्य आयोग को मोटे तौर पर आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दों पर अध्ययन करने का काम सौंपा गया है जो राज्य की महिलाओं के समग्र विकास में मदद कर सकता है; महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित आँकड़े एकत्र करना; महिलाओं पर अत्याचार, न्यूनतम मजदूरी, बुनियादी स्वास्थ्य, मातृत्व अधिकारों आदि के संबंध में महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों की जांच करना और तथ्यों का पता चलने पर उपचारात्मक उपायों के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ मामले को उठाना; संकटग्रस्त महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों को लागू करने में एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में मदद करना है। हालाँकि, पार्टियों के अधिकारों पर निर्णय लेने या निर्धारित करने के लिए राज्य आयोग को कोई शक्ति या अधिकार नहीं दिया गया है।*

6. अब रिकॉर्ड में सामग्री देखने के बाद**,** कोई झगड़ा नहीं है कि प्रतिवादी नं. **2** के पास **20.05.2017** को यथास्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिवादी संख्या **3-** उपायुक्त को निर्देशित करने की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन चूंकि आदेश का उक्त भाग प्रतिवादी क्रमांक **2-** महिला आयोग के आदेश के उक्त भाग को निहित शक्ति के बिना पारित किया गया है। जिसके द्वारा उपायुक्त को **20.05.2017** की यथास्थिति को बहाल करने और बनाए रखने का निर्देश दिया गया है**,** रद्द किया जाता है।

7. दोनों पक्षों को प्रतिवादी संख्या **2** के आयोग, दिनांक **19.02.2024** को प्रकरण क्रमांक **523/2017** के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

8. इस रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(**अनिलकुमार चौधरी**, **न्यायधीश)**

झारखंड उच्च
न्यायालय, रांची
दिनांक, **2** फरवरी, **2024**
स्मिता /एएफआर